फॉर्म–ए

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–X, गोपालगंज
उपस्थितः–राजेश कुमार वर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश–X, गोपालगंज
निर्णय तिथिः–03 / 07 / 2026,
सत्र वाद संख्या–172 / 2021, निबंधन संख्या–172 / 2021,
(गोपालपुर थाना कांड सं0–186 / 2019, जी0आर0 वाद सं0–3081 / 2019 जिला–गोपालगंज से उद्भुत्)

परिवादी / अभियोजक	बिहार राज्य (द्वारा सद्दाम हुसैन–सूचक)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री बिनोद कुमार सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त	1. बबलू कुमार प्रसाद वल्द प्रभु प्रसाद उम्र लगभग–31वर्ष, साकिन–लकडी टोला माधोपुर, थाना–बसंतपुर, जिला–सिवान। 2. मनीष पटेल वल्द विरेंद्र पटेल उम्र लगभग– 26 वर्ष साकिन– सलेमगढ़ छावनीपुर, थाना– तरेया सजान, जिला– कुशीनगर(उ0प्र0)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री विजय शंकर राय विद्वान अधिवक्ता

फॉर्म–बी

घटना तिथि	02.10.2019
प्राथमिकी की तिथि	03.10.2019
आरोप पत्र की तिथि	30.09.2020
आरोप गठन की तिथि	19.01.2022
साक्ष्य प्रारम्भ होने की तिथि	25.01.2022
निर्णय सुरक्षित रखने की तिथि	19.06.2026
निर्णय तिथि	03.07.2026
दंडादेश की तिथि, यदि कोई हो	–

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्ता का कमांक	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोपित धाराएं	दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त	आरोपित दंड	दंड प्रकिया संहिता की धारा–428 के उद्देश्य हेतु विचारण के दौरान कारा में बिताई गई अवधि
1. 2.	बबलू कुमार प्रसाद मनीष पटेल	02.09.2020 02.09.2020	– 11.04.2022	धारा–395 भा0दं0वि0	दोषमुक्त	–	–

निर्णय

1. इस वाद के उपरोक्त दोनो अभियुक्त भारतीय दण्ड संहिता की धारा–395 भा0दं0वि0 के आरोपों से आरोपित है। अभियुक्त को उपरोक्त धाराओं के तहत आरोप का गठन कर सारांश हिन्दी में पढ़कर सुनाया गया जिससे उन्होंने इनकार किया है तथा वाद विचारण का दावा किया है।

2. अभियोजन का कथानक सूचक के द्वारा दिये गये फर्द बयान के अनुसार संक्षेप में यह है कि सूचक सद्दाम हुसैन दिनांक 02.10.2019 को करीब शाम 04:30 बजे अपने भाई की ससुराल से वापस आ रहा था रास्ते में सामने से दो मोटर साईकिल पर 3 लोग सवार होकर आये और हथियार का भय दिखाकर सूचक की मोटरसाईकिल, पर्स 1000/रुपया तथा वीवो कंपनी का मोबाइल छीन लिये। मोटरसाईकिल में पीछे बैठा हुआ व्यक्ति हथियार लिये हुये था। तीनों अपराधी लगभग 23–24 वर्ष के थे।

3. घटना के संबंध में सूचक के द्वारा दिये गये फर्द बयान के अनुसार थाना प्रभारी, गोपालपुर दिनांक– 03.10.2019 को कुल 3 अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध गोपालपुर थाना कांड सं0–186/2019, दिनांक– 03.10.2019 अंतर्गत धारा–392 भा0दं0वि0 दर्ज किया गया। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अनुसंधान प्रारम्भ हुआ तथा अनुसंधान के पश्चात् अप्राथमिकी अभियुक्त गोलू कुमार के विरुद्ध आरोप पत्र सं0–65/2020, दिनांक–23.05.2020 अंतर्गत धारा–395 भा0दं0वि0 समर्पित किया गया तथा अन्य अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अनुसंधान जारी रखा गया। दिनांक–05.10.2020 को आरोप पत्र में नामित अभियुक्त के विरुद्ध विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी, गोपालगंज के द्वारा मामले में आरोप पत्र की धाराओं में अपराध का संज्ञान लिया गया तथा अन्य अनुसंधानरत अभियुक्तों का वाद पृथक कर दिया गया। पूरक अनुसंधान के क्रम में इस सत्र वाद के अप्राथमिकी अभियुक्त बबलू कुमार प्रसाद एवं मनीष कुमार पटेल के विरूद्ध पूरक आरोप पत्र सं0 128/2020 दिनांक 30.09.2020 अंतर्गत धारा 395 भा0द0वि0 समर्पित करते हुए शेष अप्राथमिकी अभियुक्त अनिल प्रसाद, अमरेश पटेल एवं अरूण सिंह पर पूरक अनुसंधान जारी रखा गया। विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी गोपालगंज के द्वारा दिनांक 07.01.21 को इस सत्र वाद के दोनो अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 395 भा0द0वि0 के अंतर्गत अपराध पर संज्ञान लिया गया। तथा अनुसंधानरत तीनों अभियुक्तों का वाद पृथक किया गया। दोनो अभियुक्तों का अभिलेख दिनांक 22.03.21 को माननीय सत्र न्यायालय, गोपालगंज को दौरा सुपुर्द हुआ जहां सत्र वाद सं0–172/2021 दर्ज हुआ तथा अभिलेख दिनांक 15.04.26 को विचारण हेतु इस न्यायालय में स्थानांतरित होकर प्राप्त हुआ।

4. अभियुक्तों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–313 के तहत दिये गये बयान में घटना से इनकार कर अपनी निर्दोषिता का कथन किया है।

5. अब न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेहो के परे साबित कर पाने में सफल रहा है अथवा नहीं?

मन्तव्य

6. इस वाद में अभियोजन की ओर से कुल 3 साक्षियों का मौखिक साक्ष्य कराया गया है। अभियोजन साक्षी सं0–1 युनिस मियां, साक्षी सं0–2 आसु कुमार तथा साक्षी सं0 3 सद्दाम हुसैन है। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कोई साक्ष्य नही है।

बचाव पक्ष की ओर से कोई भी मौखिय या दस्तावेजी साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया।

7. अभियोजन की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक का यह तर्क है कि मामले में सूचक साक्ष्य हुआ है। सूचक साक्षी ने घटना का समर्थन करते हुए बताया है कि तीन अभियुक्त आये और हथियार दिखाकर उसकी मोटरसाईकिल और मोबाइल तथा पर्स छीन लिये। अन्य साक्षियों ने भी घटना मामला दोषसिद्धि का है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाए।

8. अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक, दस्तावेजी साक्ष्य तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों से यह स्पष्ट है कि मामले में सचूक सहित कुल 3 साक्षी का साक्ष्य हुआ है।

मामले में धारा–395 भा0दं0वि0 के तहत आरोप का गठन किया गया है। साक्षी सं0–3 सूचक ने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि घटना तिथि को वह ससुराल से वापस आ रहा था दूबे खरयां के पास पहुंचे तो तीन लोग गाड़ी से आये और पिस्टल दिखाकर मोबाइल, पर्स, गाड़ी छीन लिये। घटना की सूचना पुलिस को 11:00 बजे रात्रि में दी गई। घटना स्थल पर जो लोग सामान लेकर भागे उन्हें वह पहचानता नहीं है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी का कथन है कि घटना के दिन जो लोग उससे मोटरसाईकिल छीने थे उन्हें नहीं पहचतना है क्योंकि वे लोग मास्क पहने हुये थे। साक्षी संख्या 02 पक्षद्रोही हैं। साक्षी संख्या–1 का कथन है कि घटना में बाइक छिन लिया गया। सबदाम ने केस दर्ज कराया। प्रति–परीक्षण में कथन है कि नोटिस पर गवाही देने आये है। घटना नही देखा है लडके ने घटना के बारे में बताया था। पुलिस में बयान नही हुआ था। मामले में अनुसंधानकर्ता का साक्ष्य नही हुआ है। इससे घटनास्थल प्रमाणित नही हुआ है। अन्य साक्षियों का भी साक्ष्य नही हुआ है। उपरोक्त साक्षियें से डकैती का आरोप सिद्ध नही होता है। अतः

आदेश

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अभिलेख पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के सूक्ष्म एवं तार्किक विश्लेषण के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुॅचता है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त संदेहों के परे सिद्ध कर पाने में पूर्णतया विफल रहा है।

अतः इस वाद के उपरोक्त दोनो अभियुक्त बबलू कुमार प्रसाद तथा मनीष पटेल को भारतीय दंड संहिता की धारा–395 भा0दं0वि0 के आरोपों से निर्दोष पाकर **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त मनीष पटेल के जमानतदारों को उनके बंधपत्र के दायित्यों से उन्मुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त बबलू कुमार प्रसाद को तत्काल कारा से मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय अभियुक्तगण की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लेखापित, शुद्धित एवं हस्ताक्षरित

(राजेश कुमार वर्मा)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–दशम्
गोपालगंज
दिनांक 03/07/2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–दशम्
गोपालगंज
दिनांक 03/07/2026

फॉर्म–सी

अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षियों की सूची

ए. अभियोजन

कमांक	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अभि0सा0संख्या–1	युनिस मियां	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–2	आशु कुमार	अन्य साक्षी
अभि0सा0संख्या–3	सद्दाम हुसैन	सूचक साक्षी

बी. बचाव साक्षी, यदि कोई हो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
Nil	Nil	Nil

सी. न्यायालय साक्षी, यदि कोई हो

कमांक	नाम	(साक्ष्य की प्रकृति) चक्षुदर्शी साक्षी, आरक्षी साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी
Nil	Nil	Nil

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्शों की सूची

ए. अभियोजन

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

बी. बचाव पक्ष

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	Nil	Nil

सी. न्यायालय प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

डी. वस्तु प्रदर्श

कमांक	प्रदर्श संख्या	विवरण
Nil	Nil	Nil

(राजेश कुमार वर्मा)
अपर सत्र न्यायाधीश–दशम्
गोपालगंज